कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com **Phone/Fax: 0135 2767611**

पत्रांकः– 1504 / 12-1 दिनॉकः देहरादून 31 जनवरी, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार, पर्यावरण,
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय,
25–सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद नैनीताल में रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के कालाढूंगी राजि के बौर वन ब्लॉक अन्तर्गत कालाढूंगी नहर के लिए बौर नदी पर डाईवर्जन हेतु 0.35 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु सिंचाई विभाग को प्रत्यावर्तन। (Proposal No-FP/UK/IRRIG/155063/2022)

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 8B/UCP/09/78/2022/FC/1312 दिनांक 30.12.2022।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र **दिनांक 30.12.2023** के अनुपालन में आख्या/सूचना वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के पत्रांक 848/12–1 दिनांक 02.01.2024 के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जो निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है :–

क्र0सं0	आपत्ति	प्रतिउत्तर
1.	Diversion area required is mentioned as 0.35 ha in the proposal. However, on DSS analysis it is found out to be 0.14 ha. The User Agency may clarify the discrepancy.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार कार्य स्थल पर योजना के अनुसार वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकतानुसार ही माप लेकर क्षेत्रफल की गणना अनुसार 0.35 है0 वन भूमि की आवश्यकता है, जो कि ले–आउट प्लान में दर्शाया गया है। K.M.L File अपलोड कर दी गयी है।
2.	State govt is requested to submit the plantation scheme of 700 plants over 0.7 ha area for which details of area proposed for plantation be also furnished .	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तैयार वृक्षारोपण योजना प्रेषित की गयी है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–01)**
3.	Shape and location of Canal is depicted in the digital map of diversion area but not shown in KML file.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा कालाढूंगी नहर का आकार एवं नहर की स्थिति दर्शाते हुए KML फाइल पुनः अपलोड कर दी गयी है एवं नहर के आकार हेतु ड्राईंग संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–02)**
4.	The layout of the diversion head is not shown with all components and details like canal head regulator fish ladder, under sluice, weir or barrage, details of river training work, like guide bank and marginal bunds, silt excluder bridges etc. The complete details of above components are to be mentioned in the layout plan and shown in the KML file.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार बिटिश काल से कालाढूँगी नहर पर कच्चा बन्धा (वायर केट में बोल्डर भर कर या (Coolie Walling) बनाकर कालाढूगी नहर पर पानी की आपूर्ति की जाती रही है। यह डाइवर्जन कार्य केवल कच्चे बन्धे को पक्के कार्य में परिवर्तित किया जाना है। क्योंकि कच्चा बन्धा नदी का डिस्चार्ज बढने से हर मानसून में बह जाता है जिससे क्षेत्र के काश्तकारों को

क्र0सं0	आपत्ति	प्रतिउत्तर
		बार–बार सिंचाई हेतु कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। जिससे हर वर्ष इसको बनाने और इस पर आने वाले खर्च से बचा जा सकेगा। यह योजना के केवल कालादूँगी नहर पर पानी को डाइवर्ट करने हेतु है. यह वियर या बैराज नहीं है। फीस लैडर, अन्डर सल्यूस, मारजिनल बधा आदि की इस योजना में कोई आवश्यकता नहीं है जैसा कि पूर्व में कच्चा बंधा बनाया जाता रहा है उसी को सी०सी० ब्लॉक द्वारा पक्का निर्माण है और बैंड बार का प्राविधान है जो कि नदी तल से नीचे होगे। केवल डाइवर्जन हैड के दोनो तरफ गाइड वॉल व नहर में पानी हेतु हैड रेगुलेटर का प्राविधान किया गया है, जिसकी जी.बी. पन्त विश्वविद्यालय से Vetted Drawing संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–03)**
5.	The canal Discharge capacity has not been mentioned by the State Govt.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार कालाढूंगी नहर का अधिकतम डिस्चार्ज 2.10 क्यूमेक या 74 क्यूसेक है।
6.	The location of '*Kaladhungi Nahar*' is not shown in the KML file. State Govt. is requested to mark the location of Kaladhungi Nahar in the KML file.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि कालाढूंगी नहर दर्शाते हुए KML फाईल पुनः अपलोड कर दी गयी है।
7.	In the field B.2.3 of Part-II the village wise breakup of land is not provided. All the villages are mentioned together in the same cell and cumulative area is provided. State Govt is requested to review the same.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार इस योजना से ग्राम पंचायत विदरामपुर रतनपुर, देवलचौड, कालादूँगी बंदोबस्ती, पूरनपुर, गुलजारपुर बंकी के कृषक लाभान्वित होंगे और यह योजना उपरोक्त लिखित ग्राम पंचायतो हेतु संयुक्त रुप से कालादूँगी नहर से कृषकों की कृषि भूमि को सिंचित करने हेतु बनाई गयी है और कालाढूँगी नहर में पानी चलाने हेतु बौर नदी पर डाइवर्जन हैड बनाया जाना है जिस हेतु 0.35 है० भूमि की आवश्यकता है। यह भूमि सभी ग्राम पंचायतो हेतु सामुहिक है, अतः इस भूमि को संयुक्त रुप से प्रस्तावित किया गया है।
8.	In the field I (i) of Part I it is mentioned that the proposal does not form the part of protected area of Eco Sensitive Zone. Also, in field 8.2 (ii) & (iii) of Part-II it is mentioned that it is not a part of wildlife condor Whereas, in the DSS analysis shows that the protected area is located in the Tiger Corridor or any other inviolate area. Hence, State Government is requested to clarity on this aspect with depiction of the project area on the tiger corridor map. It should be clearly mentioned that whether the Tiger Corridor is connecting two Protected Areas/Tiger Reserves.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से प्रमाण–पत्र प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–04)**
9.	Detailed muck disposal scheme with the details of the muck likely to be generated and the utilization of the generated muck is required to be submitted.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मलवा निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–05)**

क्र0सं0	आपत्ति	प्रतिउत्तर
10.	Density of the forest is mentioned as 0.4 in Part-II. However, it is also mentioned than no tree/seedling is likely to be affected by the proposal. The State Government is requested to look into this discrepancy.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार प्रस्ताव के Part II में अंकित की गयी Density Of Forest 0.4 नदी के चारों ओर स्थित वन क्षेत्र की Density है, जबकि प्रस्तावित कार्य नदी के जल मार्ग में होना है, जिसमें पेड़ इत्यादि नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र में कोई भी वृक्ष नहीं है, अतः कार्य के दौरान किसी भी पेड़ का कटान नहीं होगा।
11.	State Govt is requested to upload the all necessary documents in the field 13 (iii, iv and v) in Part-II.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रकरण में मात्र 0.35 है0 वन भूमि की मांग की गयी हैं। अतः भाग–II बिन्दु संख्या 13 विषयांकित प्रकरण पर लागू नहीं होती है।

अतः उपरोक्तानुसार वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी के अनुरोध के दृष्टिगत प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या 3504 / 12-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवकश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर, (नैनीताल)।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।